भेजने का अनुरोध किया था डीडीआर में सुरेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक द्वारा यह प्रविष्टि की गई थी कि पूर्वोक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वह कुछ अन्य पुलिस कांस्टेबलों के साथ घटनास्थल पर जा रहा है । यह घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं थी बल्कि घटनास्थल के लिए पुलिसकर्मियों की रवानगी की बाबत की गई एक प्रविष्टि मात्र थी, इसलिए इस प्रविष्टि में हमलावरों के नामों का उल्लेख न होने का कोई महत्व नहीं है । विद्वान् काउंसेल की तीसरी दलील यह थी कि पीछे की दीवार और अहाते की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए ए-1 उसे फांद कर भाग नहीं सकता था और इस संबंध में अभियोजन पक्ष के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । अभि.सा. 3 जसवंत सिंह, प्रारूपकार ने यह कथन किया है कि पीछे की सीमा दीवार 3 फुट और 7½ इंच ऊंची थी और उसके बाद वहां तार से घेराबंदी कर रखी थी जो 1½ मीटर ऊंची थी । भागते समय यह पूर्णतया सम्भव है कि ए-1 तार की घेराबंदी को फांदे बिना केवल ईंट की दीवार को फांद कर दूसरी ओर कूद गया होगा । वह 25 वर्षीय एक युवा व्यक्ति था और दीवार को फांदना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था ।

20. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एम.एन. राव ने भी, जो ए-2 और ए-3 की ओर से हाजिर हुए हैं, मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य में अंभिकथित विरोधाभास, टेलीफोन पर दिए गए प्रथम संदेश में अभियुक्तों के नामों का उल्लेख न होने और हेतु के अभाव के संबंध में ऐसी ही दलीलें दीं, जिन पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं ।

21. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हमारी यह स्पष्ट राय है कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपना पक्षकथन सिद्ध करने में सफल रहा है और विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूर्णतया अनुचित था जिसे उच्च न्यायालय ने अपास्त करके सही किया है । परिणामस्वरूप अपीलों में कोई सार नहीं है और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं । अपीलार्थी जमानत पर हैं । वे अपने को अधिरोपित दंडादेशों को भोगने के लिए तुरन्त अभ्यर्पित करेंगे । संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा ।

अपीलें खारिज की गईं ।

उ./ज.

[2003]4 उम.नि.प.63

सुनील कुमार गोयल

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग

9 मई, 2003

मुख्य न्यायमूर्ति वी.एन.खरे और न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 और 234 – न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की पात्रता – चूंकि व्यक्ति द्वारा सरकारी विभाग में विधि सहायक के रूप में नियुक्त होने के पश्चात् उक्त विभाग की ओर से न्यायालय और अधिकरण में प्रतिनिधित्व करना वकालत करने की कोटि में नहीं आता है, इसलिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अपेक्षित वकालत की कम-से-कम तीन वर्ष के अनुभव संबंधी पात्रता की बाबत लोक सेवा आयोग का आदेश अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं है ।

इस रिट याचिका में याची राजस्थान न्यायिक सेवा के उम्मीदवार थे । वे राज्य के शिक्षा विभाग में विधि सहायक के रूप में कार्यरत थे और इसके पूर्व उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की थी । राज्य लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने और साक्षात्कार में बुलाने के पश्चात् याचियों की अभ्यर्थिता इस आधार पर रद्द

कर दिया कि वे तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन कम-से-कम तीन वर्ष की वकालत की अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करते । याचियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल करके आयोग के उक्त आदेश को चुनौती दी । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए आवश्यक अर्हता के रूप में तीन वर्ष की न्यूनतम वकालत विहित की गई थी, जिससे न्याय प्रशासन को मजबूत बनाने और इसमें जनता का विश्वास पैदा करने के प्रयोजन के लिए सक्षम निष्पक्ष और ईमानदार न्यायिक अधिकारी की भर्ती सुनिश्चित की जा सके । इसलिए इस न्यायालय ने इस आशय की विधि अधिकथित की कि अभ्यर्थी तीन वर्ष की वकालत का अनुभव रखता हो । स्वीकार्यतः इसमें याचियों ने तीन वर्ष की उक्त अवधि की सक्रिय वकालत पूरी नहीं की थी । वे इससे पूर्व ही सेवाओं में शामिल हो गए थे । हो सकता है कि वे सेवा के दौरान अधिकरण के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों, किन्तु न्यायालय यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे वकील के रूप में न्यायालय के समक्ष कैसे हाजिर हो सकते थे । चाहे जैसी भी स्थिति हो, किसी न्यायालय या अधिकरण में नियोजक का प्रतिनिधित्व करना वकालत करने की कोटि में नहीं आता है और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंड पूरा नहीं होता है । ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन वाले मामले में इस न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में राज्य द्वारा नियम विरचित किए गए और इस प्रकार इस प्रश्न के विषय में कि क्या याची अपेक्षित अर्हता रखते थे या नहीं, आयोग को इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्य सामग्री के आधार पर अपना यह समाधान करना आवश्यक था कि याचियों ने उक्त मापदंड पूरा किया है या नहीं । स्पष्टतः न्यायालय आयोग का विनिश्चय ऐसा मनमाना नहीं लगता जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता हो । (पैरा 7, 8, 9 तथा 12)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1993]	(1993) 4 एस.सी.सी. 288 : **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**।	5

निर्दिष्ट निर्णय

[2003]	(2003) 5 एस.सी.सी. 480 = (2003)3 स्केल 571 : **राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य** बनाम **हरीश कुमार पुरोहित और अन्य** ;	14
[2002]	(2002) 4 एस.सी.सी. 247 : **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ**।	2,13

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 2002 की सिविल रिट याचिका सं. 35.

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री पल्लव सिसोदिया, हेमन्त शर्मा और भाव दत्त शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से सुनील कुमार जैन (अनुपस्थित)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – इसमें याची ऐसे उम्मीदवार हैं, जो राजस्थान न्यायिक सेवा में शामिल होना चाहते हैं । राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग में विधि सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं । इससे पूर्व वे वकालत कर रहे थे किन्तु इन लोगों ने तीन वर्षों की अवधि पूरी नहीं की थी जो उस समय विद्यमान नियमों के निबंधनानुसार आवश्यक थी ।

2. इन रिट याचिकाओं में याचियों की यह दलील है कि उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया गया है और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, इसलिए उनकी अभ्यर्थिता **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले के निबन्धनानुसार तीन वर्ष की वकालत पूरा न करने के तात्पर्यित आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे वकील के रूप में जिला न्यायालयों और अधिकरणों में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने अपेक्षित शपथ-पत्र द्वारा पुष्टि भी की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र फाइल किया है ।

3. याचियों की अगली दलील यह है कि **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के उस विनिश्चय, जिसमें इस न्यायालय ने यह विधि अधिकथित की है कि न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए वकालत करना आवश्यक नहीं होगा, को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा जारी आक्षेपित निदेशों को अपास्त कर देना चाहिए ।

4. यह विवादित नहीं है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश पाने का पात्र होने के लिए सुसंगत समय पर तीन वर्ष की न्यूनतम वकालत पूर्वापेक्षा थी ।

5. **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2] वाले मामले में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि :–

> "52...(क) न्यायिक अधिक्रम के निम्नतम सोपान के न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए तीन वर्षों की वकालत को आवश्यक अर्हताओं में से एक अर्हता बना दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, जब कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नतम सोपान के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की जाए तो चयन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय का एक प्रतिनिधि सहयुक्त होना चाहिए और उसकी सलाह तब तक अभिभावी होगी जब तक कि इसे स्वीकार न करने का कोई ठोस और अकाट्य कारण न हो और कारण लेखबद्ध किया जाना चाहिए । उपरोक्त निदेशों को समाविष्ट करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के भर्ती नियम तत्काल संशोधित किए जाएं ।"

6. उक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ समान अधिक्रम और पदनाम संबंधित प्रश्न पर विचार किया । यह मत व्यक्त किया गया :–

> "20..... इस संबंध में यह इंगित किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 233(2) के अधीन कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब तक वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर न रहा हो, जबकि अनुच्छेद 217(2)(ख) और अनुच्छेद 124(3)(ख) में किसी व्यक्ति से क्रमशः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष की वकालत की अपेक्षा है.....।"

7. ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ के परिशीलन मात्र से किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है कि न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए आवश्यक अर्हता के रूप में तीन वर्ष की न्यूनतम वकालत विहित की गई थी, जिससे न्याय प्रशासन को मजबूत बनाने और इसमें जनता का विश्वास पैदा करने के प्रयोजन के लिए सक्षम, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायिक अधिकारी की भर्ती सुनिश्चित की जा सके ।

8. इसलिए इस न्यायालय ने इस आशय की विधि अधिकथित की कि अभ्यर्थी तीन वर्ष की वकालत का अनुभव रखता हो ।

---

[1] (2002) 4 एस.सी.सी. 247.

[2] (1993) 4 एस.सी.सी. 288.

9. स्वीकार्यतः इसमें याचियों ने तीन वर्ष की उक्त अवधि की सक्रिय वकालत पूरी नहीं की थी । वे इससे पूर्व ही सेवाओं में शामिल हो गए थे । हो सकता है कि वे सेवा के दौरान अधिकरण के समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों किन्तु हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे वकील के रूप में न्यायालय के समक्ष कैसे हाजिर हो सकते थे । चाहे जैसी भी स्थिति हो, किसी न्यायालय या अधिकरण में नियोजक का प्रतिनिधित्व करना वकालत करने की कोटि में नहीं आता है और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंड पूरा नहीं होता है ।

10. हमारा ध्यान 1989 की रिट याचिका सं. 1022 के 1992 के पुनर्विलोकन आवेदन सं. 249 के 1995 के अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 31, 32 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की ओर आकृष्ट किया गया । उस मामले में यह भी मत व्यक्त किया गया :–

> "हमारे विचार से इसमें कोई संदेह नहीं कि इस उपबंध द्वारा यह आशयित था कि न्यायिक पद पर नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अधिवक्ता के रूप में तीन वर्ष की वकालत (विधि व्यवसाय) का अनुभव हो । उसे इस अर्थ में वकील होना चाहिए कि वह किसी न्यायालय या अधिकरण में नियमित रूप से वकालत करता है और जो अपने मुवक्किलों की ओर से न्यायालय या अधिकरण में हाजिर होता है । इस मामले में सम्भवतः वह ऐसा अपने केवल एक मुवक्किल के लिए करता हो जो उसका नियोजक है ।"

आगे, यह भी निदेश दिया गया :–

> "अतः हम उन विधि सहायकों को जो अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 7, 8, 9 और 10 के आवेदक हैं, को राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर विधि सहायक के रूप में प्रमिततः उनका क्या कार्य है, का विवरण शपथपत्र पर देने का निदेश देते हैं । यह सिर्फ तभी संभव है यदि उस कार्य के अंतर्गत नियमित रूप से न्यायालयों या अधिकरण के समक्ष हाजिर होना आता है तो वे ऊपर उल्लिखित उपबंध की अपेक्षा को पूरा करेगा और इसका पात्र होते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए ।"

11. यह सही है कि उक्त निदेशों के अनुसरण या अग्रसर करने में याचियों ने शपथपत्र फाइल किए थे किन्तु स्पष्टतः तत्समय विद्यमान कानूनी नियमों की अपेक्षा पूरी न होने के कारण प्रत्यर्थी-लोक सेवा आयोग द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया ।

12. **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में राज्य द्वारा नियम विरचित किए गए और इस प्रकार इस प्रश्न के विषय में कि क्या याची अपेक्षित अर्हता रखते थे या नहीं, आयोग को इस संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्य सामग्री के आधार पर अपना यह समाधान करना आवश्यक था कि याचियों ने उक्त मापदंड पूरा किया है या नहीं । स्पष्टतः हमें आयोग का विनिश्चय ऐसा मनमाना नहीं लगता जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता हो ।

13. विद्वान् काउंसेल की यह दलील सही हो सकती है कि **ऑल इण्डिया जज़ेज एसोसिएशन और अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पश्चात्वर्ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवसाय (वकालत) की अपेक्षा समाप्त करने का निदेश दिया । तथापि, निश्चित शब्दों में सुस्पष्टतः यह कहा गया था कि किसी न्यायिक अधिकारी को वादकारियों के भाग्य के फैसले का कार्य सौंपने के पूर्व उसे अधिमानतः दो वर्ष का कठोर न्यायिक प्रशिक्षण लेना होगा । यह विवादित नहीं है कि राजस्थान राज्य ने इस न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में नियमों को संशोधित कर दिया है । इसलिए, याची अब आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं ।

---

[1] (2002) 4 एस.सी.सी. 247.

14. हमारा ध्यान **राजस्थान लोक सेवा आयोग और एक अन्य बनाम हरीश कुमार पुरोहित और अन्य**[1] वाले मामले में अभी हाल के विनिश्चय की ओर आकृष्ट किया गया । जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने आयोग को 11 पदों को अनारक्षित करने का निदेश देकर अवैधता की यद्यपि वे (पद) आरक्षित प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने थे । केवल ऊपर उल्लिखित विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय यह उपधारणा नहीं कर सकता है कि उक्त 11 रिक्तियां अनारक्षित होंगी और याची उन रिक्तियों पर भरे जाने के पात्र होंगे, जिसके लिए उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए ।

15. यह विवादित नहीं है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा चुका है और चयन सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है । इसलिए इस न्यायालय के लिए चयन प्रक्रिया पुनः आरंभ करने और प्रत्यर्थी-आयोग को याचियों की मौखिक परीक्षा लेने का निदेश देना उचित नहीं होगा ।

16. ऊपर उल्लिखित कारणों से हमारी यह राय है कि इन रिट याचिकाओं में कोई सार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है । तथापि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

उ./पा.

[2003] 4 उम.नि.प.67

सुरेन्द्र कुमार शर्मा

बनाम

विकास अधिकारी और एक अन्य

9 मई, 2003

न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी और न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) – धारा 2 (णण) और धारा 25-च – अस्थायी पदों पर नियमितीकरण – यदि जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाई गई गरीबी उन्मूलन की स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों पर की गई नियुक्तियां अस्थायी हैं, तो इनके समाप्त होने पर पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, अतः इन पदों पर नियुक्त कर्मकारों को नियमित नहीं किया जा सकता है ।

वर्तमान अपील में अपीलार्थी को ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के नाम से जानी जाने वाली स्कीम के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में नियोजित किया गया जो 100 दिनों के पश्चात् समाप्त हो गया । तत्पश्चात् उसे एक अन्य अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, जो समय-समय पर बढ़ाने के पश्चात् 30 जून, 1989 को समाप्त हो गई । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की, जिसे यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि चूंकि उक्त पद स्कीम समाप्त होने पर समाप्त हो गए इसलिए उनके नियमितीकरण का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

---

[1] (2003) 5 एस.सी.सी. 480 = (2003) 3 स्केल 571.